न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-129RAAJodhpur2023-58RTA223 Lrs of Poonaram ors Vs Lrs of Goparam etc
2023-163RAAJodhpur2023-81RTA223 Omprakash ors Vs Poonaram etc

1. पूनाराम पुत्र श्री कालूराम के कायम मुकामः–
   1.1. राजूराम पुत्र स्व. पूनाराम
   1.2. देवी पुत्री स्व. पूनाराम
2. बिरमाराम पुत्र स्व. श्री कालूराम
3. केसाराम पुत्र श्री कालराम के कायम मुकामः–
   3.1. पतासी पत्नी स्व. केसाराम
   3.2. श्यामलाल पुत्र स्व. केसाराम
   3.3. राम निवास पुत्र स्व. केसाराम
   3.4. छोटूराम पुत्र स्व. केसाराम
   3.5. पिसता देवी पुत्री स्व. केसाराम
   3.6. सोहनी देवी पुत्री स्व. केसाराम
   3.7. पारस देवी पुत्री स्व. केसाराम
4. मांगीलाल पुत्र श्री कालूराम के कायम मुकामः–
   4.1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मांगीलाल
   4.2. श्रवण कुमार पुत्र स्व. मांगीलाल
   4.3. लीला देवी पुत्री स्व. मांगीलाल
   4.4. छोटी देवी पुत्री स्व. मांगीलाल

   समस्त जातियान् सुथार, निवासीगण– ग्राम तिलवासनी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

गोपाराम पुत्र सुराराम फौत

1. दाकू देवी पत्नी स्व. गोपाराम के कायम मुकामः–
   01. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री गोपाराम
   02. पप्पूराम पुत्र स्व. श्री गोपाराम
   03. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री गोपाराम
   04. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री गोपाराम
   05. सम्पूदेवी उर्फ संतोष पुत्री स्व. गोपाराम
   06. कुकी उर्फ कमला पुत्री स्व. गोपाराम
   07. पुष्पा पुत्री स्व. श्री गोपाराम
   08. मधु पुत्री स्व. श्री गोपाराम

   सभी जातियान् सुथार, निवाासीगण– ग्राम तिलवासनी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. हप्पूराराम पुत्र श्री सुराराम, जाति–सुथार, निवासी– ग्राम तिलवासनी, हाल निवासी– ,खारी जिला जोधपुर।
3. गेन्दूड़ी पुत्री श्री सूराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. तुलछी देवी पुत्री श्री सूराराम
सभी जातियान् सुथार, निवासीगण– ग्राम खारी, जिला जोधपुर।
5. भंवरलाल पुत्र श्री मंगलाराम
6. गुमनाराम पुत्र श्री मंगलाराम
7. पुसाराम पुत्र श्री मंगलाराम
8. सुगनी देवी पुत्री मंगलाराम
9. मुनी देवी पुत्री मंगलाराम
सभी जातियान् सुथार, निवासीगण– ग्राम खारी, जिला जोधपुर।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 15 मार्च 2022 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 13/2015 गोपाराम बनाम पूनाराम इत्यादि

उपस्थितः–

श्री ओ.पी. राठी, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5, 1/7, 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10

(02)2023-163RAAJodhpur2023-81RTA223 Omprakash ors Vs Poonaram etc

01. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री गोपाराम
02. पप्पूराम पुत्र स्व. श्री गोपाराम
03. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री गोपाराम
04. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री गोपाराम
05. सम्पूदेवी उर्फ संतोष पुत्री स्व. गोपाराम
06. कुकी उर्फ कमला पुत्री स्व. गोपाराम
07. पुष्पा पुत्री स्व. श्री गोपाराम
08. मधु पुत्री स्व. श्री गोपाराम
09. हप्पूराराम पुत्र श्री सुराराम, जाति–सुथार, निवासी– ग्राम तिलवासनी, हाल निवासी– ,खारी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. पूनाराम पुत्र कालूराम (फौत)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

02. भीरमराम पुत्र कालूराम
03. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम
04. श्यामलाल पुत्र केसाराम
05. राजूराम पुत्र पूनाराम
जातियान् सुथार, निवासीगण– तिलवासनी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
06. गेन्दूड़ी पुत्री सूराराम
07. तुलछीदेवी पुत्री सूराराम
08. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम
09. गुमानाराम पुत्र मंगलाराम
10. पुसाराम पुत्र मंगलाराम
11. सुगनीदेवी पुत्री मंगलाराम
12. मुन्नीदेवी पुत्री मंगलाराम
सभी जातियान् सुथार, निवासीगण– खारी, जोधपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 15 मार्च 2022 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 13/2015 गोपाराम बनाम पूनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री ओ.पी. राठी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03 सें 05
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2025

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/2015 अनवान गोपाराम बनाम पूनाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 22 मार्च 2023 एवं दिनांक 24 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दोनो अपीलों में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो (अपील संख्या 58/2023 के अनुसार) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 336 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 392 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मार्च 2022 को वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने दोनो अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स(अपील संख्या 58/2023) ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में विचाराधीन चल रहीं थी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद में न तो तनकीयात कायम की गई तथा न ही पक्षकारान् से साक्ष्य ली गई। किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही आदेशिका में निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया गया तथा न ही कांउटर क्लेम का निस्तारण किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध डिक्री पारित फरमायी जावे एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता(अपील संख्या 81/2023 के अपीलांट्स) ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर दावे को खारिज कर दिया गया, जबकि दावा हर सूरत में स्वीकार योग्य था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना नहीं की गई तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादीगण का वाद किस कारण से स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा शॉर्ट–कट तरीके से वाद का निर्णय किया गया एवं निर्णय पारित करने के बाद डिक्री पर्चा भी जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश 20 नियम 6–ए के तहत अपीलार्थी की ओर से निर्णय को ही डिक्री पर्चा समायत मानने का निवेदन किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में वाद पत्रावली पक्षकारान् के जवाब हेतु विचाराधीन थी एवं इसी दौरान कोविड–19 के प्रभाव के कारण न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई बंद हो गई तथा कोई पेशीया भी नहीं दी जाती थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किये जानें से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। माननीय न्यायालय से अपील की सुनवाई का एक नोटिस दिनांक 05.04.2023 को, जिसमें आगामी पेशी 20.04.2023 लिखी हुई थी। तब अपीलांट्स पीपाड़ गये एवं जानकारी लेने पर पता चला कि मूल वाद का निर्णय हों चुका है,। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 81/2023 स्वीकार फरमायी जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय में पत्रावली कांउटर क्लेम में जवाब में विचाराधीन चल रही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

थी। तत्पश्चात राष्टव्यापी कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते न्यायालय में न्यायिक कार्य बाधित हो गया था। विचारण न्यायालय द्वारा मूल में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादी को काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने, वाद, प्रतिवाद एवं जवाबुल–जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर उन पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करने तथा प्रकरण में प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित किये जाने के बजाय सीधे ही आदेशिका में सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर वादी के वाद को विधिक प्रक्रिया के विपरीत खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाकर दोनो अपीले अंदर म्याद शुमार की जाकर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/2015 अनवान गोपाराम बनाम पूनाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य–सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28 जनवरी 2025 को उपस्थित रहे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर